



राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3-4(2)च.श्रे.कर्म./विविध/अभि/2019/पार्ट-1/10539-54

दिनांक 17/09/2020


— आदेश —

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.2/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे/पे लेवल से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे/पे लेवल के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.स.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	वि.वि.
1.	2	3	4	5	6
1.	श्री जेतूसिंह, च.श्रे.कर्मचारी,	22.02.1960	स.नि.अ. पाली	स.नि.अ. पाली	प्रथम बार
2.	श्री श्योराम, बेलदार,	10.04.1959	सा.नि.वि. गांधी नगर जयपुर।	अभियोजन निदेशालय	द्वितीय बार
3.	श्री अमरचद भांभी, च.श्रे. कर्मचारी,	01.11.1958	समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण विभाग, अजमेर	स.नि.अ. अजमेर	द्वितीय बार
4.	श्री बाबूलाल, च.श्रे. कर्मचारी,	28.02.1958	सनिअ झुंझुनु	सनिअ झुंझुनु	द्वितीय बार
5.	श्री कजोडमल जाटवा, जमादार,	13.09.1958	सनिअ-प्रथम जयपुर शहर	सनिअ-प्रथम जयपुर शहर	द्वितीय बार
6.	श्री लालसिंह, च.श्रे.कर्मचारी,	12.04.1956	सनिअ जोधपुर	सनिअ जोधपुर	द्वितीय बार (कार्यग्रहण की दिनांक से 12.04.2021 की अवधि तक)


7.	श्री राजेन्द्र कुमार, च.श्रे. कर्मचारी,	30.09.1958	सनिअ कोटा	सनिअ कोटा	द्वितीय बार
8.	श्री इन्द्र सिंह, च.श्रे.कर्मचारी,	18.01.1959	सनिअ पाली	सनिअ पाली	द्वितीय बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्ति सेवा निवृत्त कर्मचारियों की **सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक** अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है।
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या MR-1378/गृह-10/2020 दिनांक 14.09.2020 के आधार पर जारी किया जा रहा है।
सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन-----
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
5. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर